

उपखण्ड अधिकारी

मीबादेवी

बनाम

लालचंद वर्मा

संख्या/वर्ष

42/2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

आज्ञा

पञ्जावली पेश हुई वकील जर्जियाबाग उपस्थित/प्राणेश अन्तर्गत धारा 128 CR Act पर वकील जर्जियाबाग की वहाँ एकतरफा सुनी गई वहाँ आदेश दिनांक-04/04/2020 को पेश हो।
 (विश्वामित्र मीना)
 उपखण्ड अधिकारी
 जमशेदपुर

पत्र

पञ्जावली पेश हुई वकील जर्जियाबाग उपस्थित/ वकील जर्जियाबाग ने अपनी वहाँ में कहा कि जर्जियाबाग की संयुक्त खातेवासी भूमि है भूमि के पुराना मिशाना नही है एवं खण्ड 68, 70 वाले गठ भइरका पास लहरील जमशेदपुर की पारो डोर की सीमाओं सीमाचिह्न अंकित कर पटपरवाबी किए जाते हैं निवेदा किया है

पञ्जावली का अन्तर्गत करत व वकील जर्जियाबाग की वहाँ सुनते है उपान्त अन्तर्गत पत्र अन्तर्गत धारा 128 CR Act को खीला किया जाता है यदि किसी अन्य न्यायालय का प्रमाण अदेश ना होता लहरील (जमशेदपुर) के निदेश दिए जाते है कि गठ भइरका पास पवार हण्का भाथासुल लहरील जमशेदपुर (जमशेदपुर) की वहाँ के खण्ड 68 खण्ड 0. 2400 हेक्टर

(विश्वामित्र मीना)
 उपखण्ड अधिकारी
 जमशेदपुर

न्यायालय

सुपरीफंड अधिकारी

जमशारामगढ़

मीसर्टेकी वकील

बनाम

लालचन्द वकील

42/2020

मुकदमा संख्या/वर्ष

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र०स०

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

रकबत नं० रकबा ०-३५०० हेक्टर
की चारो ओर की सीमाओं
को शीमाचिह्न अंकित कर
पापराही करना सुनिश्चित करे।
आदेश की प्रति तहसीलदार
जमशारामगढ़ को पालनाम देकर
अज्वार आये।
पत्रावली फैसल सुनाने
के लिए नगदती का होना
प्रति बाहिर इष्ट हो।
निर्णय सुकमा बाग।

(विस्तृत न मीसर्टे)
सुपरीफंड अधिकारी
जमशारामगढ़